

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी 2020—माघ 17, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

शुद्धि-पत्र

क्रमांक-एफ-ए-3-32-2017-1-पांच (02).- इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-32-2017-1-पांच (37), दिनांक 17 मई, 2019, में, -

(क) पृष्ठ 398 (16) पर, पंक्ति 28 में "FORM GST ITC- 03" के स्थान पर "FORM GST DRC- 03 पढ़ें;" और

(ख) पृष्ठ 398 (26) पर, पंक्ति 8 में "FORM GST ITC- 03" के स्थान पर "FORM GST DRC- 03 पढ़ें;"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्रमांक-एफ-ए-3-32-2017-1-पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-32-2017-1-पांच (02), दिनांक 06 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 6th February 2020

CORRIGENDUM

No.F A 3-32-2017-1-V(02).- In this department's notification, No. F A 3-32-2017-1-V (37), dated 17th May, 2019,-

(a) at page 398 (50), in line 12, for "FORM GST ITC-03" read "FORM GST DRC-03"; and

(b) at page 398 (55), in line 24, for "FORM GST ITC-03" read "FORM GST DRC-03".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.